रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 3, 2017/ पौष 13, 1938
No. 02] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 2017/PAUSA 13, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 2(अ).—विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में संशोधन करने के लिए आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम एवं आरंभ:—

   (1) इन नियमों को विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाएगा

   (2) ये भारतीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में, नियम 5 क के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

   "5 क. सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं, फैबलैस सेमी कंडक्टर उद्योग और इलेक्ट्रानिक विनिर्माण सेवाओं से संबंधित अवसंरचना अपेक्षाएं - सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं, फैबलैस सेमी कंडक्टर उद्योग और इलेक्ट्रानिक विनिर्माण सेवाओं से संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र के मामले में, निम्नलिखित सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा, अर्थात:-

   (क) क्षेत्र में एक स्थिर आवृत्ति पर 24 घंटे की अबाधित विद्युत सप्लाई;

   (ख) अबाधित और सुरक्षित डाटा प्रसारण हेतु भरोसेमंद संयोजकता ;

   (ग) केंद्रीय वातानुकूलन व्यवस्था के लिए प्रावधान; और

(घ) अंतिम प्रयोक्ताओं हेतु उपयोग हेतु तैयार, सुसज्जित प्लग तथा भुगतान सुविधा ।"

[फा. सं. सी.2/1/2016-एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, दिनांक 10 फरवरी 2006 के सा.का.नि.54 (अ) के तहत भारत के राजपत्र,भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा इनमें दिनांक 21 नवम्बर 2016 को अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1094(अ) के तहत अंतिम संशोधन हुआ था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26 December, 2016

G.S.R. 2(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—

1. Short title and commencement:—

(1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, for rule 5A, the following shall be substituted, namely:—

"5A. **Infrastructure requirements relating to information technology, Bio-technology, Research and Development facilities, Fabless Semi-conductor Industry and Electronic Manufacturing Services** - In case of a Special Economic Zone relating to information technology, Bio-technology, Research and Development facilities, Fabless Semi-conductor Industry and Electronic Manufacturing Services, the following facilities shall be ensured, namely:-

(a) twenty-four hours uninterrupted power supply at stable frequency in the zone;

(b) reliable connectivity for uninterrupted and secure data transmission;

(c) provision for central air-conditioning system; and

(d) a ready to use, furnished plug and pay facility for end users.".

[F. No. C. 2/1/2016-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section-3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended vide Notification number G.S.R. 1094(E), dated the 21st November, 2016.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.01.04 17:58:01 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.